प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया : 25.11.2024

आदेश पारित किया गया :24. 02.2025

अवमानना प्रकरण सं 830 /2024

1 – उपेंद्र सिंह पिता श्री खम्हन सिंह , 33 वर्ष, निवासी गाँव तथा सुकुलकारी, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर (सी. जी.)

2 – पवन कुमार मरकाम पिता श्री दसरु लाल मरकाम, 35 वर्ष ,निवासी बनिया गाँव ब्लॉक कोंडागांव कोंडागांव, (सी. जी.)

3 – पंकज रावते पिता स्वर्गीय सुखित राम रावते , 29 वर्ष,निवासी ग्राम विश्रामपुरी कोंडागांव (सी. जी.)

4 – राहुल सिंह राठौर पिता तरुण सिंह राठौर,28 वर्ष निवासी घर संख्या 1085 वार्ड संख्या 16 पुराना काशी नगर, कोरबा (सी. जी.)

5 – सुमित कुमार खेवर पिता यशवंत कुमार खेवर, 33 वर्ष निवासी बी/7 कल्याण सदन क्रॉस रोड अपार्टमेंट के पीछे, अमलिडीह, रायपुर (सी. जी.)।

6 – जसवंत सिंह ठाकुर पिता परशुराम ठाकुर , 40 वर्ष, निवासी ग्राम बालोद गाह तहसील गुरुर बालोद (सी. जी.)7 – अभिषेक एंथनी पिता टी. एंथनी , 33 वर्ष निवासी सि 1/65 सेक्टर 07 न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर, (सी. जी.)..... याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती ऋचा शर्मा, अपर मुख्य सचिव वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, रायपुर, जिला रायपुर, (सी. जी.)।

-------उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :श्री अभिषेक सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :श्री वेंकटेश पांडे, अधिवक्ता तथा श्री आर. एस. मरहास अधिवक्ता।

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा,न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

1. यह अवमानना याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2024 को डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 407/2024 तथा डब्ल्यू.पी.एस. संख्या 504/2024 में पारित अंतरिम आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। उक्त आदेश का सुसंगत भाग इस प्रकार है:

'.....राज्य/उत्तर वादियों को 12.9.2023 को शारीरिक परीक्षण पास करने में असफल रहे असफल उम्मीदवारों को अगले आदेश तक दूसरा मौका देकर उनके लिए कोई भी शारीरिक क्षमता चलने का परीक्षण आयोजित करने से रोका जाता है।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के आदेश/निर्देश का उत्तरवादी–प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुपालन नहीं किया गया है।अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने नरेश चंद्र कपूर बनाम ओ.पी.एस. मलिक एवं अन्य के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जो 2004 एस.सी.सी. ऑनलाइन ऑल 73 में रिपोर्ट किया गया था। उक्त आदेश का सुसंगत भाग इस प्रकार है:"25. के एस विलासा बनाम लेडीज़ कॉर्नर, 1999 (35) एएलआर 504 (एससी) और मदन लाल गुप्ता बनाम रविंदर कुमार, जेटी 2001 (1) एससी 123 के मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है या उसकी अवज्ञा की जाती है तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।"

3. इसके विपरीत, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस न्यायालय के दिनांक 31.01.2024 के अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, हालांकि, उक्त अंतरिम आदेश को इस न्यायालय ने 08.05.2024 को रद्द कर दिया था और उसके बाद, रिट याचिका (एस) संख्या 407/2024 को अन्य रिट याचिकाओं के साथ 09.08.2024 को अंतिम रूप से निराकरण कर दिया गया है, इसलिए, दिनांक 31.01.2024 के अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश के साथ जोड दिया गया है।अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने पृथ्वी नाथ राम बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2004 (7) एससीसी 261 में दिए गए निर्णय का उल्लेख दिया गया। उक्त आदेश का सुसंगत अंश इस प्रकार है:6. निर्देश को लागू करने की असंभवता के सवाल पर, टी.आर. धनंजय बनाम जे. वासुदेवन, 1995 (5) एससीसी 619 में व्यक्त विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब दावे पर निर्णय हो चुका है और वह

अंतिम रूप ले चुका है, तो प्रतिवादी के लिए यह खुला नहीं है कि वह आदेशों के पीछे जाए और परिणाम को दरकिनार करने के लिए नियमों को ताक पर रखकर उसके प्रभाव को कम करे, अदालत द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने के लिए विधिक बहाने को वैध बनाए।

9. किसी दिए गए मामले में, भले ही अंततः अंतरिम आदेश रद्द कर दिया गया हो या किसी पक्ष को मुख्य कार्यवाही में अनुतोष नहीं दी गई हो, दूसरा पक्ष इसे न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश की अवज्ञा के आधार के रूप में नहीं ले सकता है।"

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, इस न्यायालय के आदेशों सहित अभिलेख का अध्ययन किया गया।

5. 05.08.2024 दिनांकित आदेश का सुसंगत हिस्सा इस प्रकार हैः"प्रकरण के इस पहलू पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा 31.01.2024 को पारित अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाता है। उत्तरवादीगण को नियुक्ति के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है। यद्यपि, यह देखा गया है कि यदि नियुक्ति की जाती है तो यह इन याचिकाओं का अंतिम परिणाम होगा। राज्य नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। राज्य नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. 09.08.2024 को डब्लूपीएस संख्या 407/2024 में पारित अंतिम आदेश का सुसंगत हिस्सा अन्य रिट याचिकाओं के साथ इस प्रकार है:

"7. जैसा भी हो, इन याचिकाओं में जिस राहत का दावा किया गया था, वह इस तथ्य से संबंधित है कि प्रतिवादी/राज्य को दूसरा पैदल शारीरिक परीक्षण आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था, इसलिए, वर्तमान में इन मामलों में निर्णय के लिए कुछ भी नहीं बचा है और याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ इन रिट याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति है।

8. तदनुसार, , वर्तमान याचिकाओं का निराकरण किया जाता है।'

7. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि राज्य सरकार ने इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 09.08.2024 के अनुसार दूसरा पैदल शारीरिक परीक्षण आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा दूसरा शारीरिक परीक्षण आयोजित नहीं करने का निर्णय 20.06.2024 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख को सूचित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक आर–2 में संलग्न है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को नोट–शीट में नोट किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि अनुलग्नक आर–3 के रूप में उत्तरवादी के उत्तर दिनांक 19.09.2024 के साथ संलग्न है।

8. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि इस न्यायालय ने प्रतिवादी के अनुपालन के लिए समय सीमा आदेश पारित नहीं किया है, हालांकि, 08.05.2024 को, इस न्यायालय ने 31.01.2024 के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है और उत्तरवादी–प्राधिकारी को नियुक्ति के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया है, हालांकि, यह भी

देखा गया कि यदि नियुक्ति की जाती है, तो यह इन रिट याचिकाओं का अंतिम परिणाम होगा और राज्य नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।इसके अलावा, रिट याचिका (एस) संख्या 407/2024 का अंतिम रूप से 09.08.2024 को अन्य रिट याचिकाओं के साथ निराकरण कर दिया गया है और 31.01.2024 के अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश के साथ मिला दिया गया है। जब अंतरिम आदेश निरस्त हो जाता है और रिट याचिका में मांगा गया अनुतोष याचिकाकर्ताओं को नहीं दी जाती है, तो दूसरा पक्ष इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए आधार नहीं ले सकता है।

9. उपरोक्त चर्चाओं के लिए, यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि इस न्यायालय के आदेश की कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं हुई है।

10. अवमानना कार्यवाही बंद हो जाती है तथा अवमानना याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रति प्रदान की जावे ।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur